बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–53 / 2021–.......... /पटना–15, दिनांक–....................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–84(6), दिनांक–09.02.2022 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण–841301 द्वारा प्रस्तावित के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण–841301 को जी0एन0एम0 संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–20433 / 2022, दिनांक–23.03.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण–841301 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में जी0एन0एम0 पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारण बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण (ii) सिविल सर्जन, सारण तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

क्रमश

ज्ञापांक : 6/एन0–08–53/2021 1392(6) पटना दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक, रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण–841301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण/सिविल सर्जन, सारण/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/12/22

उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

सं०सं०–890 / बी०एन०आर०सी० / 2022 / 2309/BNRC दिनांक 02/12/2022

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
के०आर० नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,
पता–काशी बाजार, भगवान बाजार, छपरा, सारण–841301

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1392(6), दिनांक 02.12.2022.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक 14/2022, दिनांक 02.12.2022 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1392(6), दिनांक 02.12.2022 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी०एन०एम० नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 1392(6), दिनांक 02.12.2022 के आलोक में संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2022–23) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

निबंधक,

ज्ञापांक–सं०सं०–890 / बी०एन०आर०सी० / 2022 2309/BNRC दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपि:– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक

K.R. NURSING COLLEGE & HOSPITAL
Director

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
<u>आदेश</u>

आ0सं0–6/एन0–08–85/2021–......... /पटना–15, दिनांक–.......................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–85(6), दिनांक–09.02.2022 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण–841301 द्वारा प्रस्तावित के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण–841301 को बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–20434/2022, दिनांक–23.03.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण–841301 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
(ङ) संस्थान आर्यभट नॉलेज युर्निवसिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण (ii) सिविल सर्जन, सारण तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शैलेश कुमार)
उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–85/2021......1391(6) पटना दिनांक - 02/12/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक, रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण–841301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण/सिविल सर्जन, सारण/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, आर्यभट नॉलेज युर्निवसिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

सं0सं0–891 / बी0एन0आर0सी0 / 2022 / 2310/BNRC दिनांक 02/12/2022

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,
पता–काशी बाजार, भगवान बाजार, छपरा, सारण–841301

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022.

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक 13/2022, दिनांक 02.12.2022 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022 के आलोक में संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2022–23) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
निबंधक

ज्ञापांक–सं0सं0–891 / बी0एन0आर0सी0 / 2022 2310 दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपि:– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निबंधक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

02/12/22
निबंधक

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय
ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800 001
दूरभाष:–0612-2351919, ई–मेल:–akuniv10@gmail.com

Ref. No. 006/Affili/635/AKU/2022 - 311. Date: 25. 01. 2023

From

The Registrar,
Aryabhatta Knowledge University,
Patna-800 001.

To

The Principal,
K.R Nursing College & Hospital
Kashi Bazar. P.O + P.S- Bhagwan Bazar,
Saran- 841301

Subject: Provisional affiliation for the academic session 2022-23.

Ref. :- 58th Board of Affiliation held on the dated 21-01-2023.

Sir,

It has reference to your proposal regarding granting provisional affiliation for the session 2022-23 to your institute for above mentioned courses. On the Basis of the report of the inspection team, who visited your institute on **31/12/2022** and as per the recommendations of statutory bodies of the University. I am directed to inform you that your institute is granted provisional affiliation to **run B.Sc Nursing with (60 Seats) for the academic session 2022-23.**

Your college is granted Provisional affiliation to Aryabhatta Knowledge University, Patna on the following terms & conditions:-

1. This provisional affiliation is presently for one year only for the academic session 2022-23.
2. This provisional affiliation is based upon the approval accorded to your institute by Bihar Nurse Registration Council, Patna vide **Memo No. 891/BNRC/2022/2310, dated 02/12/2022.**
3. The provisional affiliation is subject to your attending to all the deficiencies / short coming /advices suggestions pointed out by the inspection team in its report dated **31/12/2022** (attached) in the meantime and send compliance report through affidavit within a period of 03(Three) months to the University from the date of issue of this letter.
4. In light of university notification vide letter no. 004/FIN/038/AKU/2014-1323, dated 18-05-2020, the college is directed to deposit the amount of Endowment Fee 5,00000/- (Five Lakhs only) in any nationalised/scheduled bank branch as Fixed Deposit in the name of college and thereafter the said FD will be pledge infavour of the Registrar, Aryabhatta Knowledge University, **Patna within a period of 03(Three) months to the University from the date of issue** of this letter.
5. The University may inspect your college at any working day without information to check the infrastructure and other academic activity of your college as per guidelines of Government of Bihar/ Aryabhatta Knowledge University, Patna.

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय
ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800 001
दूरभाष:–0612-2351919, ई–मेल:–akuniv10@gmail.com

6. All minutes of Governing Body should be submitted to office of Aryabhatta Knowledge University, Patna at the earliest.
7. When any vacant posts will be filled by the college/institute, University representative should be invited and appointments must be done in presence of University Representative.
8. College is requested to approve all teaching & non-teaching employees as per guidelines of the University in three months.
9. This Provisional affiliation shall not take effect unless it is approved by the State Government.
10. This provisional affiliation has been granted in anticipation of approval of the Court, Aryabhatta Knowledge University, Patna.
11. Failing the above terms & conditions, this letter will be automatically treated as withdrawn. In such a case no further correspondence shall be entertained.

By Order of the Vice-Chancellor
Yours faithfully,

Registrar
Aryabhatta Knowledge University, Patna

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक 05·08·2023

अ॰सं॰:संबं0–6032/2023–511/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–04.08.2023 को बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/एम॰एस॰सी॰ नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों को कॉलम सं0 4 में अंकित नर्सिंग पाठ्यकम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–**2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	AIHE Professional Institute	Patna	B.Sc. Nursing	60
2	Ambedkar College of Education	Rohtas	B.Sc. Nursing	60
3	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	B.Sc. Nursing	60
4	Ashoka Nursing & Paramedical College	Nalanda	B.Sc. Nursing	55
			M.Sc Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG Midwifery-15, Paediatric Nursing-10, Psychiatric Nursing-5, Community Health Nursing-10)
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
5	Baba Rajaram College of Education	Lakhisarai	B.Sc. Nursing	60
6	Chanakya College of Education	Patna	B.Sc. Nursing	60
7	College of Nursing, Kurji Holy Family Hospital	Patna	B.Sc. Nursing	60
8	D. P. Singh Institute of Education	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
9	Daksh B.Sc. Nursing College	Siwan	B.Sc. Nursing	60
10	Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education	Muzaffarpur	B.Sc. Nursing	60
11	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	B.Sc. Nursing	100
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
			M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG-MCH-30, Paediatric Nursing-05, Psychiatric Nursing-05)
12	Dr. Indira Institute of Nursing and Paramedical	Muzaffarpur	B.Sc. Nursing	60
13	Dr. Trisuldhari Pandey Memorial College of Education	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
14	Gautam Institute of Nursing	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
15	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	B.Sc. Nursing	60

Sl No	Name of the Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
16	Himalaya College of Nursing	Patna	B.Sc. Nursing	100
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
17	Himalaya Institute of Higher Education	Patna	B.Sc. Nursing	100
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
			M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical-25, CHN-5, OBG/MCH-20, Ped. Nur.-5, Psy. Nur-5)
18	K. R. Nursing College & Hospital	Chhapra	B.Sc. Nursing	60
19	Katihar B.Sc. Nursing College	Katihar	B.Sc. Nursing	60
20	Krishna Institute of Higher Education	Madhepura	B.Sc. Nursing	60
21	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences	Samastipur	B.Sc. Nursing	60
22	Maa Kanti School of Nursing	Patna	B.Sc. Nursing	50
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
			M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-25, OBG Midwifery Nursing-15, Paediatric Nursing-10, Psychiatric Nursing-5, Community Health Nursing-5)
23	Maa Savitri Institute of Nursing & Paramedical Sciences and Hospital	Bhagalpur	B.Sc. Nursing	60
24	Maa Tara Institute of Technical Education	Patna	B.Sc. Nursing	60
25	Madhubani Institute of Nursing and Paramedical Sciences	Madhubani	B.Sc. Nursing	100
26	Magadh Paramedical & Nursing Institute	Gaya	B.Sc. Nursing	60
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
27	Maharishi Dayanand Institute of Nursing	Darbhanga	B.Sc. Nursing	60
28	Mata Sushila Institute of Education	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
29	MGM College of Nursing and Paramedical	Patna	B.Sc. Nursing	60
30	Mona School of of Nursing and Paramedical College	Patna	B.Sc. Nursing	60
			Post Basic B.Sc. Nursing	100
31	National Institute of Health Education & Research	Patna	B.Sc. Nursing	60
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
			M.Sc. Nursing	40 (Medical Surgical Nursing-9, Paed.Nursing-8, OBG-MidwifaryNursing-9, Psy. Nur.-7, CHN-7)
32	National Institute of Nursing and Paramedical Science	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
33	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	B.Sc. Nursing	60
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
34	Patel Nursing College	Purnea	B.Sc. Nursing	60
35	Patliputra College of Nursing	Patna	B.Sc. Nursing	100

किशोर

नियम एवं शर्त्तें:–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र–2023–24 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र–2023–24 हेतु मान्यता प्राप्त कर लेंगे तथा इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र–2022–23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र–2022–23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
5. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
6. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
7. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के पंजीयन के पूर्व वांछित कागताज/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
8. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
9. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
10. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
11. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार,

वि.कु.झा 5/8/2023

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–511/ पटना, दिनांक 05.08.2023

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 5/8/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–511/ पटना, दिनांक 05.08.2023

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 5/8/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–511/ पटना, दिनांक 05.08.2023

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.कु.झा 5/8/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना